

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान - सरकार बनाम राकेश कुमार

मुकदमा न. 22/18/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

06.07.2018

पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी राकेश कुमार शर्मा पुत्र चिरंजीलाल निवासी वार्ड नं. 8 टेलीफोन टावर के पास, रींगस मैसर्स- एस. आर. पण्डित स्वीट्स मठ मन्दिर के पास भैरुजी मोड़ रींगस उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ- 974 वस्तु सोन पापड़ी (एस.आर.पण्डित) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण Substandard Food का पाया गया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया, परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुये कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। अप्रार्थी के कारोबार को मध्य नजर रखते हुये खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी राकेश कुमार के 7,000/- रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

निर्णय सुनाया गया।

6/7/18